# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 589/2016
दायर दिनांक – 09/12/2016
निर्णय दिनांक – 12/03/2018

**अनवान**

1. मोहनी बाई पत्नि मांगीलाल कुमावत निवासी मोर्रा तह0 रेलमगरा
2. शम्भुलाल पिता जीतु कुमावत निवासी मोर्रा तह0 रेलमगरा

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. उंकार पिता कालु कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
2. नोजी पत्नि कालु कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
3. भैरूलाल पिता कालु कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
4. भैरूलाल पिता गुलाब कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
5. दिनेश चन्द्र पिता गोपीलाल कुमावत नाबालिक जरिये सरंक्षक माता कमला देवी
6. बबलु पिता गोपीलाल कुमावत नाबालिक जरिये सरंक्षक माता कमला देवी
7. सोनु पिता गोपीलाल कुमावत नाबालिक जरिये सरंक्षक माता कमला देवी
8. कमला देवी पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
9. मांगु पिता सोला कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
10. बालु पिता सोला कुमावत निवासी मोर्रा तह0– रेलमगरा
11. बद्री पिता सोला कुमावत निवासी मोर्रा तह0 रेलमगरा
12. तुलसी पिता सोला पत्नि अमरचन्द कुमावत निवासी किशनपुरा माउ तह0 रेलमगरा
13. अणछी पिता सोला पत्नि मांगु कुमावत निवासी माउ तह0 रेलमगरा
14. शंकरी पिता सोला पत्नि शंकर कुमावत निवासी मदारा तह0 रेलमगरा
15. कमला पिता सोला पत्नि प्यारचन्द कुमावत निवासी भैरूखेडा तह0 रेलमगरा

विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए रा0का0अ0**

**: : निर्णय : :**

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्त
अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम मोर्रा तहसील क्षेत्र रेलमगरा में प्रार्थीगण के स्वा
आधिपत्य की आराजी संख्या 158 रकबा 3–16 स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या

क कलक्टर
ड अधिकारी)
गरा

के पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 159, 160 स्थित है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 160 के पूर्व दिशा में आम रास्ता स्थित है। प्रमाण में नक्शा टेस की प्रमाणित प्रति पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 158 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु गांव मोर्रा से आम रास्ते से आराजी संख्या 160 की दक्षिणी पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी संख्या 159 के दक्षिणी पूर्वी पाली से होते हुए अपनी आराजी संख्या 158 में प्रवेश कर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल बैल, बैलगाडी इत्यादि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षो से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कई वर्षो से निरन्तर निर्विघ्न रूप से साधिकारपूर्वक करते चले आ रहे है। विपक्षीगण जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान, बाधा हस्तक्षेप कारित करते है। तथा प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 158 के उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु बाधा रूकावट कारित करते है। तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 158 में आने जाने हेतु उक्त कदिमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्तेको जबरन बाड लगाकर बन्द कर दिया गया है या हांक कर फसल इत्यादि काश्त कर देते है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में आये दिन भारी व्यावधान करते रहते है तथा आज भी प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों की हंकाई जुताई नही कर पा रहे है तथा विपक्षीगण कहते है कि रेकार्ड में कोई रास्ता नहीं है इसलिए हम तुम्हे हमारे खेत में से होकर नहीं जाने देंगे जबकि प्रार्थीगण के खेत में जाने का यही एकमात्र नजदीकी रास्ता है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 158 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 160 की दक्षिणी पूर्वी पाली से प्रवेश होतु हुए पाली के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी संख्या 159 में दक्षिण पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे सहारे उक्त आराजी की दक्षिणी दिशा में होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 158 के दक्षिणी पूर्वी पाली से प्रवेश करते है जो उक्त रास्ता 15 फीट चोडा सम्पर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्ता आवश्यकता है जो आराजी संख्या 158 की दक्षिणी पाली तक है जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त

लक्टर
धिकारी
रा

रास्ते की सख्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है न्यायालय आप द्वारा रास्ते के एवज में उक्त 15 फीट चौडाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसे प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। उक्त कदिमी रास्ते को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस मे रास्ते के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। जिस निमित्त प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को लगातार रास्ते मे बाधा कारित कर रहे है तथा आज से 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण उक्त रास्ते में अपनी आराजी टेक्टर से हांकने के लिए जाने लगा तो विपक्षीगा ने उक्त रास्ते को थोर बाड लगाकर बन्द कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 158 में आने जाने बैल, बैलगाडी, टेक्टर इत्यादि लाने ले जाने हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 160 की दक्षिणी पूर्वी पाली से प्रवेश होते हुए पाली के सहारे सहारे विपक्षीगण की आराजी संख्या 159 में दक्षिण पूर्वी पाली से प्रवेश कर पाली के सहारे सहारे उक्त आराजी की दक्षिणी दिशा में होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 158 के दक्षिणी पूर्वी पाली से प्रवेश करते है तो उक्त रास्ता 15 फिट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 158 तक रास्ता विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश फरमावें। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। तथा पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर संलग्न पत्रावली की गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थी की वकील की एक तरफा बहस सूनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली
उपलब्ध रेकार्ड व पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तका
अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 158 में आने जाने ले ज
हेतु भूमि काश्त करने हेतु आराजी संख्या 159 व 160 की दक्षिणी पाली के सहारे 15 फि
चौडा एवं सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 158 तक सम्पूर्ण रास्ता के रकबे की वर्तम
डी0एल0सी0 दर अनुसार दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को हिस्से अनु
भुगतान की कार्यवाही की जावें तथा रास्ते में आने वाले रकबे को बिलानाम रास्ता क
किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार
नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भा
उपखण्ड अधि
(उप खण्ड रेलमगरा
रेलमगरा